


अचल संपत्ति का विवरण वर्ष-2016

3

प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण वर्ष निरंक

1. अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम रामनारायण साहू 2. वर्तमान धारित पद अधीक्षण अभियंता. 3. कार्यालय का नाम अधीक्षण अभियंता (अउदा-संधा) वृत्त, म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर
4. वर्तमान वेतन 67000/- + गेड पे. 8700/- 5. भविष्य निधि क्रमांक 22804305 6. कर्मचारी संख्या 89973711

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका मंडल अधिकारी/कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
जबलपुर	रहवासी भवन	2290 वर्गफुट	24 लाख	स्वयं	भूखंड श्रीमति वंदना साहू से स्वयं की बचत से खरीदा है एवं मंडल से प्राप्त ऋण से निर्माण 1999 को कराया है।	नहीं	नहीं
इंदौर	रहवासी फ्लेट	1222 वर्गफुट (सुपर बिल्ट अप क्षेत्र)	20 लाख	स्वयं	एफआईसी फाइनेन्स लि. इंदौर से 18 लाख गृह ऋण प्राप्त कर 2011 को क्रय किया है।	नहीं	नहीं

हस्ताक्षर 

नाम - रामनारायण साहू

पद - अधीक्षण अभियंता

- जहां लागू न हो काट दीजिए।
- ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए
- उसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी- मंडल द्वारा ग्राह्य म.प्र. शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1985 के नियम 19(1) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक 12 महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर अथवा किसी अन्य लंबित के नाम से पट्टे या बंधक पर धारित स्थावर (अचल) संपत्ति का विवरण देवें।